

विविध टी.सी. आवंटन प्रकरण संख्या 35/2013 लालचंद पुत्र मल्लूराम
जाति बैरागी निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ बनाम स्टेट

25-04-2016

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजन कुक्कड़ उपस्थित है। राजकीय अभिभाषक श्री जगमोहन आहजा उपस्थित है। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि सूरतगढ रोही के खसरा नं० 383/4 की 6.325 हे० भूमि उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा राज० उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के तहत वर्ष 1978 में अस्थाई काशत के लिए प्रार्थी लालचंद को आवंटित की गयी थी जिसका संवत् 2061 तक नवीनीकरण होता रहा। तत्पश्चात यह भूमि शहरी क्षेत्र के पैराफरी क्षेत्र में आने के कारण तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 3.06.2006 से टीसी आवंटन निरस्त कर दिया। उनका आगे कथन है कि विवादित भूमि का पिछले 30 साल से उसके नाम नवीनीकरण होता आ रहा है उसके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी द्वारा किन शर्तों की अवहेलना की गयी है। विवादित भूमि पैराफरी क्षेत्र में आने के कारण विधि द्वारा यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि पैराफरी क्षेत्र में भूमि के बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत राशि ली जाकर खातेदारी दी जा सकती है। राज० उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 की शर्त 19 के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन को निरस्त करने की शक्ति कलेक्टर में निहित है तहसीलदार आवंटन निरस्त करने के लिए सक्षम नहीं था तहसीलदार ने अपने निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आवंटन निरस्त किया है। इस सन्दर्भ में 1958 आरआरडी पेज 89 व 1992 आरआरडी पेज 117 अवलोकनीय है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने माना है कि क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किये गये आदेश शून्य है। उनका आगे कथन है कि तहसीलदार ने परिपत्र दिनांक 15.12.05 व 08.02.06 का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त किया है जो इस मामले में लागू नहीं है।

वकील प्रार्थी का आगे कथन है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में सूरतगढ कस्बा व बीड को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया है अतः अब राज० भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान लागू होते हैं जिसके नियम 18(4) के प्रावधानानुसार विवादित भूमि नगरपालिका की नगर योग्य परिसीमा या परिधीय पट्टी के भीतर आ गई है अतः इस भूमि पर जिला स्तरीय समिति द्वारा यथानिर्धारित भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत या 10 प्रतिशत राशि, जो भी लागू हो, वसूल कर भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जावें।

इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.12.05 व 08.02.06 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफरी क्षेत्र में आती है उसका टी.सी. नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 03.06.06 से प्रार्थी का टी.सी. आवंटन सही रूप से खारिज किया गया है।

-2- विविध टीसी आवंटन प्र.सं. 35/2013

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादग्रस्त भूमि खसरा न0 383/4 की 25.00 बीघा पूर्व में राज0 उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तो के अनुसार अस्थाई काश्त (टी. सी.) हेतु प्रार्थी को दिनांक 07.07.78 को एक साला सम्वत 2035 के लिए आवंटित किया गया था जिसका बाद में समय समय पर नवीनीकरण होता रहा। तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2006 से राज्य सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 15.12.05 व 08.02.06 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आती है उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और न ही पुख्ता या खातेदारी दी जा सकती है। इसलिए राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 के शर्तो व राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलेण्ड हेतु बने नियमों के नियम 1996 के अन्तर्गत प्रार्थी लालचंद को कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 383/4 के 6.325 हे0 का आवंटन खारिज किया गया है। जिसके विरुद्ध लालचंद द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी/एल आर संख्या 8377/2006 लालचंद बनाम सरकार प्रस्तुत की। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 22.02.2013 से तहसीलदार सूरतगढ का आदेश 03.06.2006 अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि राज0 उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टा) शर्त 1955 के विधिक प्रावधानो के प्रकाश में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार सूरतगढ के प्रतिवेदन सं0 रीडर/2016/289 दिनांक 30.03.16 के अनुसार मौके पर वर्तमान में रोही सूरतगढ के ख0 न. 383/4 की 6.325 हे0 भूमि खाली है। दैनिक डायरी अनुसार मौके पर टीसी आवंटनी के परिवार की देख रेख में कब्जा बताया गया है और रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है अन्य किसी को आवंटित नहीं है।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में उक्त वादग्रस्त भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया है अतः इस पर उपनिवेशन क्षेत्र के नियम लागू न होकर राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान लागू होंगे। इस नियम के नियम 18(4) के प्रावधानानुसार ही आगामी कार्यवाही की जानी है। अतः तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त नियम के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के आवंटन/खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को उनके कार्यालय की संबंधित टीसी आवंटन पत्रावली सहित पालनार्थ लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.04.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

826
27-4-16